(1) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-व-राज सहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(2) उर्वरक उद्योग को फीड स्टाक, ईंधन और रेल परिवहन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किए जा रहे तरल पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(4) सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में अब उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(5) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों पर आयात शुल्क में छूट और सम निर्यात लाभों में रियायत उर्वरक संयंत्रों द्वारा लिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज दर में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) स्वदेशी डी.ए.पी. पर विशेष रियायत की दर को दिनांक 6.7.1996 से 1000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों के संबंध में रियायत की दर में आनुपातिक बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी गई है। एस.एस.पी. के संबंध में विशेष रियायत की दर को 340 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति टन कर दिया गया।

उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने निम्नलिखित रणनीति अपनायी है:-

(i) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(ii) नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर तथा वर्तमान में कार्यान्यवनाधीन संयंत्रों और परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीड स्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना।

(iii) प्रचूर तथा सस्ती कच्ची सामग्री स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उर्वरक उपक्रमों को बजटीय सहायता भी दी गई है ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों को गत तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों की लाभप्रदत्ता

(रू० करोड़ में)

उपक्रम का नाम	शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि (-)		
	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
1. एन एफ एल	389.11	121.93	124.55
2. फैक्ट	12.41	78.71	76.76
3. आर सी एफ	-12.08	167.19	96.37
4. पी पी एल	47.36	27.68	2.22
5. एम एफ एल	-58.49	7.53	21.07
6. पी पी सी एल	-15.52	-5.88	0.31
7. एफ सी आई	-272.60	-336.13	-426.62
8. एच एफ सी	-366.73	-395.79	-466.52
9. पी डी आई एल	-12.93	-6.32	4.19

Review of the functioning of community polytechnics

595. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Chairmanship of Shri M.M. Luther, an Expert Committee was formed to review the functioning to the community polytechnics;

(b) if so, the details thereof;

(c) when was it expected to submit the report and whether Government have been in receipt of any such report;

(d) if not, the reasons for delay and the expenditure incurred by the Committee; and

(e) the time by which the Committee will submit its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) No Expert Committee was formed, However, a National Appraisal Committee was formed to review the functioning of the Community Polytechnics (CP) Scheme under the Chairmanship of Shri M.M. Luther with the following terms of reference:—

(i) To review the implementation of the scheme and to assess whether quantitatively and qualitatively the Community Polytechnics have been effective in transferring technology to the villages and also to assess whether the village artisans have benefited from this.

(ii) To assess the scheme and its implementation and to suggest modification/improvements in the scheme or in its implementation.

(iii) To advise whether the present system of Community Polytechnics is appropriate or whether separate institutions for this purpose need to be set up.

(iv) To examine the types of skills being imparted by Community Polytechnics in minority concentration districts, the relevance of such skills and the extent to which minorities have been benefited by these community polytechnics.

(v) To report any other aspects which are relevant to overall improvements in the implementation of the scheme.

(c) The Committee was to submit its report by 31st May, 1996. The Committee has since submitted the report on 20th June, 1996.

(d) and (e) In view of the fact stated against (c) above, (d) & (e) do not arise.

प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में जनता की भागीदारी

596. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी पाने हेतु किए जा रहे प्रयासों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा जनता को ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनाने और उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान, पर्यावरण वाहिनियों, पारि-क्लबों, संगोष्ठियों, परिसंवादों कार्यशालाओं और वनीकरण कार्यक्रमों जैसे विभिन्न स्कीमों की मदद से पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण और परिपुनरूद्धार में जन-सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में शमिल है:-

- निम्नतम स्तर पर पर्यावरणीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
- प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर प्राथमिक भागीदारी कार्यक्रम के लिए प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है;
- क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच तिमाही अंत:वार्ता बैठकें आयोजित की जाती हैं;
- जल गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विज्ञान के विद्यार्थियों को जल परीक्षण किट वितरित किए जाते हैं;
- जनता को प्रदूषण उपशमन की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तिमाही न्यूजलैटर (परिवेश) प्रकाशित किया जाता है;
- प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए सूचीबद्ध इन गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशनों पर रियायत दी जाती है।
- नगरपालिका के ठोस, अपशिष्टों के दुष्प्रभावों की जानकारी लोगों को देने और स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से अपशिष्ट की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, के बारे में दिल्ली के अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी की गई;